

फार्म ३  
FORM 3

[देखें नियम 54 (12)]

[See Rule 54 (12)]

परिवार का विवरण  
Details of Family

सरकारी कर्मचारी का नाम .....  
Name of the Govt. servant

पदनाम .....  
Designation

जन्मतिथि .....  
Date of birth

नियुक्ति की तारीख .....  
Date of appointment

दि० ..... को परिवार के सदस्यों का विवरण  
Details of the members of my family\* as on .....

क्रम सं.	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्मतिथि	कर्मचारी से संबंध	कार्यालय अध्यक्ष के आद्यक्षर	टिप्पणी
Sl.No.	Name of the members of family*	Date of birth	Relationship with the officer	Initials of the head of office	Remarks
1	2	3	4	5	6

मैं उपर्युक्त विवरण को अद्यतन बनाए रखने का वचन देता/देती हूँ और इसमें वृद्धि/परिवर्तन की सूचना देता रहूँगा/देती रहूँगी।  
I hereby undertake to keep the above particulars up-to-date by notifying to the Head of office any addition or alteration.

स्थान .....

Place

तारीख .....

Dated the

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर  
Signature of the Govt. servant

\* यहाँ परिवार से तात्पर्य सि.सि.एस्. पेंशन नियमावली 1972 के नियम 54 के उपनियम (14) के अनुच्छेद (ख) में परिभाषित परिवार से है।

Family for this purpose means family as defined in Clause (b) of Sub-rule (14) of Rule 54 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972.

टिप्पणी: न्यायिक रूप से विच्छिन्न पति पत्नी को पति और पत्नी के रूप में दिखाया जाएगा।

NOTE: Wife and husband shall include respectively judicially separated wife and husband.